संख्या-11/2018/1096/94-1-2018-312(152)/2017

प्रेषक

भैरव नाथ शुक्ल
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिरीक्षक निबन्धन
उ0प्र0 लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग **लखनऊ: दिनांक: 15 जून 2018**

विषय:- प्रदेश के समस्त उप निबन्धक कार्यालयों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी स्थापित किये जाने हेतु पुनर्विनियोग के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3965/शि0का0लख0/2017 दिनांक 10/11/2017 एवं पत्र संख्या-2085/शि0का0लख0/2018 दिनांक 03-05-2018 तथा पत्र संख्या-2247/एफ0ए0ओ0/शि0का0लख0/2018 दिनांक 28-05-2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उप निबन्धक कार्यालयों में इण्टरनेट कनेक्टिविटी स्थापित किये जाने के दृष्टिगत अनुदान संख्या-91 लेखाशीर्षक 2030 स्टाम्प पंजीकरण 03-पंजीकरण 001 निदेशन तथा प्रशासन 05-स्कैनिंग ऑफ ओल्ड डाक्यूमेंट के मानक मद 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में उपलब्ध धनराशि रूपये 2500.00 लाख (रूपये पच्चीस करोड़ मात्र) में से तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत रूपये 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) का पुनर्विवियोग प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-91 लेखाशीर्षक 2030 स्टाम्प पंजीकरण 03-पंजीकरण 001 निदेशन तथा प्रशासन 05-स्कैनिंग ऑफ ओल्ड डाक्यूमेंट के मानक मद 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि रूपये 2500.00 लाख (रूपये पच्चीस करोड़ मात्र) में से लेखाशीर्षक 2030 स्टाम्प पंजीकरण 03-पंजीकरण 001 निदेशन तथा प्रशासन 04 जिला व्यय के अन्तर्गत मानक मद 13 टेलीफोन पर व्यय के अन्तर्गत रूपये 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) को पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में उल्लिखित प्रतिबन्धों/ शर्तो तथा संलग्न बी0एम0-9 प्रारूप में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) जिस मानक मद की बचतों से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है उसी मानक मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(2) पुनर्विनियोग हेतु प्रस्तावित धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) उक्त पुनर्विनियोग केवल बजट व्यवस्था के लिए किया गया है जिसके सम्बन्ध में सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत परीक्षणोपरान्त नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

(4) अवमुक्त की जाने वाली धनराशि किसी भी परिस्थिति में पी0एल0ए0/ बैंक/ डाक घर तथा डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।

(5) धनराशि का आहरण राजकोष से तभी किया जायेगा, जब भुगतान की वास्तविक आवश्यकता उत्पन्न हो।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) उपरोक्तानुसार धनराशियों को विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों मे व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(7) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/ वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी0-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रुप से अनुपालन किया जाय।

(9) व्यय को प्राधिकृत विनियोग की सीमा के भीतर रखे जाने से संबंध में बजट मैनुअल में दिये गये निर्देशों एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-12-2011 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय व तत्काल धनराशि अधीनस्थ कार्यालयों के निवर्तन पर रख कर जारी स्वीकृतियों की एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

2- उपरोक्त धनराशि रूपये 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-91 लेखाशीर्षक 2030 स्टाम्प पंजीकरण, 03 पंजीकरण 001-निदेशन तथा प्रशासन 04 जिला व्यय के अन्तर्गत मानक मद 13 टेलीफोन पर व्यय के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक- यथोक्त।</u>

भवदीय

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव।

<u>संख्या-11/2018/1096(1)/94-1-2018 तद्दिनांकः</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- मुख्य कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट लखनऊ।
4- निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
7- गार्ड फाइल।

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

अनुदान संख्या-91

स्टाम्प एवं पंजीकरण

वित्तीय वर्ष 2018-19

(धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			**वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि**		
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2030- स्टाम्प पंजीकरण					
03- पंजीकरण					
001- निदेशन तथा प्रशासन					
05 स्कैनिंग एवं इण्डेक्सिंग ऑफ ओल्ड डाक्यूमेंट					
0					
16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2500.00	2500.00	200.00	200.00	2300.00
योग-	2500.00	2500.00	200.00	200.00	2300.00

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण			**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा**		
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (8-9)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2030- स्टाम्प पंजीकरण					
03- पंजीकरण					
001- निदेशन तथा प्रशासन					
04 जिला व्यय					
0					
13 टेलीफोन पर व्यय	15.00	215.00	-200.00	200.00	215.00
योग-	15.00	215.00	-200.00	200.00	215.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

मानक मद संख्या-16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के अन्तर्गत वर्तमान समय में कार्यदायी संस्था का निर्धारण न होने के कारण बचत होने की सम्भावना है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से हैं:-

प्रेरणा 3.0 आनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रदेश के सभी उप निबन्धक कार्यालयों में लागू किए जाने के लिए इण्टरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु उक्त व्यय अपरिहार्य है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता।

संख्या-आर0ई0-25/यू0ओ0-ई-9-297 दिनांक 07-06-2018

सेवा में

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

(संजय कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-11/2018/1096(1)(1)/94-1-2018 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0 इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-2247/एफ0ए0ओ0-08/शि0का0लख0/2018 दिनांक 28-05-2018 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी तथा पुनर्विनियोग करायी गयी धनराशि का पूर्ण उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त भुगतान के सम्बन्ध में सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार परीक्षण कराकर सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
6- गार्ड फाइल।

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in